

**SHRI ANANT PRASAD SHARMA :**  
Why should he rake up the question again?  
The ruling must be final.

**SHRI MAHAVIR TYAGI :** . . . that the views of the House as expressed might be conveyed to the Prime Minister. It was the consensus that the views expressed in the House were to be communicated. This undertaking was given by the Chair. Now, Sir, it seems there has been a lot of whipping overnight, and my friends have been whipped. Has it been conveyed? I want to know that.

**श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह (बिहार) :**  
जो हाउस में हुआ है वह भी सब-प्राइम मिनिस्टर साहेब के पास भेजा जाना चाहिये।

**THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI K. K. SHAH) :** Mr. Tyagi's statement is not correct because when Tyagiji asked the Deputy Chairman that it was the consensus of the House, the Deputy Chairman said, "the proceedings of the House are there and I am not here to express any opinion".

**श्री राजनारायण :** हम फिर आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो उधर बैठे हुये हैं वे इस सदन की हंसी जग में न करायें। मैं कल को कार्यवाही को देखकर कहना चाहता हूँ कि अगर ये तीनों मंत्री कैबिनेट में रहते हैं तो यह मामला आना चाहिये।

**MR. CHAIRMAN :** You do not want to make any statement?

**SHRI K. K. SHAH :** No.

**MR. CHAIRMAN :** The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock. Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

## MEMBER SWORN

Shri K. L. N. Prasad (Mysore)

## REFERENCE TO PROPOSED S. S. P. DEMONSTRATION

**श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) :**  
श्रीमन् . . .

**श्री उपसभापति :** स्टेटमेंट हो जाने दो।

**श्री राजनारायण :** एक मिनट, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सदन में हमने दो बार कहा कि 6 अप्रैल को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का आल इंडिया डिमांस्ट्रेशन हो रहा है और तभी तक गवर्नमेंट ने हमें रूट नहीं बताया कि किस रूट से जाएगा और जान-बूझकर 144 धारा पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनाट प्लेस में लगा दी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट से कहें कि 144 की छत्रछाया में यह संसद नहीं चलनी चाहिए। संसद को यह सरकार 144 धारा के अन्तर्गत चलाना चाहती है। इस ढंग से 144 धारा लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसके बारे में, श्रीमन्, आप कुछ कहें।

**श्री उपसभापति :** जो कुछ कहना था आपने कह दिया है।

## STATEMENT BY MINISTER REGARDING DECISION TAKEN BY GOVERNMENT ON THE RABI PRICE POLICY

**THE MINISTER OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI JAGJIVAN RAM) :** Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government, after considering the recommendations of the Agricultural Prices Commission on Price Policy for Rabi Foodgrains for 1970-71 marketing season, and the views expressed by the Chief Ministers of Rabi States at a confer-

ence held on 22nd March 1970, have taken the following decisions for 1970-71 season :—

(1) That all possible efforts will be made to achieve the procurement target of 3.7 million tonnes of wheat recommended by the Agricultural Prices Commission.

(2) That the procurement prices of wheat fixed for 1969-70 season will be maintained in 1970-71 also.

(3) That the issue price of red (indigenous and Mexican) and imported varieties of wheat will be maintained at the existing level of Rs. 78 per quintal. The issue price of amber-coloured indigenous varieties will be Rs. 84 per quintal.

(4) That the entire country (excepting the statutorily rationed areas of West Bengal and Maharashtra) will be made one zone for wheat.

All the decisions will be implemented immediately, except for the increase in the issue price of amber-coloured indigenous variety of wheat. The increase in the issue price of amber-coloured indigenous varieties of wheat will be given effect to from 1st May 1970 or thereabout.

**श्री राजनारायण :** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। रबी की फसल के सम्बन्ध में सरकार का व्यान हुआ है। मैं आज सरकार से सफाई से जानना चाहता हूँ कि आजादी के 23 वर्ष बाद भी सरकार के गल्ले की कीमत को तय करने का आधार क्या है? जो अभी माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है उसमें गल्ले की कीमत का कोई आधार नहीं बताया गया है। कौन सा आधार है, किस आधार पर गल्ले की कीमत तय होती है? क्या एग्री-कल्चरल प्रोड्यूस एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस...

**श्री उपसभापति :** जब डिमांड किया होगा, मर फैक्टर्स उन्होंने सोचे होंगे।

**श्री राजनारायण :** सुन लीजिये। स्पष्टीकरण पूछ रहा हूँ। आज आखिरी दिन जब मंत्री बयान देंगे तो हम बहस कब

करेंगे? तो मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो बराबर यह मांग रही है कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में पैरिटी हो कीमत में, जो कृषिजन्य पदार्थ हों और जो कल-कारखानों से पैदा होने वाले जीवनोपयोगी पदार्थ हों, उनकी कीमतों में न्याययुक्त संतुलन होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बुनियादी नीति को अख्तियार करके क्या रबी की फसल की कीमत को तय किया है?

**श्री जगजीवन राम :** मैं तो समझता था कि मदस्य महोदय खुशी जाहिर करेंगे। पिछले साल जो कीमत रखी गई थी, वही कीमत है।

**श्री राजनारायण :** सुनाई नहीं पड़ रहा है, मंत्री जी जरा माइक के सामने आ जायें। असल में ऐसा होता है कि जब मंत्री बोलते हैं, तब एक मर्तबा गर्दन इधर करेंगे, एक मर्तबा उधर गर्दन करेंगे, ट्रेजरी चेन्स से वे चाहते हैं कि उनको इशारा करें कि हा, यह ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। वे सामने आ कर बोलें।

**श्री जगजीवन राम :** अच्छा, मैं आपकी तरफ देखा करूँ?

**श्री राजनारायण :** आपकी दृष्टि में इतना रस नहीं है।

**श्री जगजीवन राम :** मैं यही कह रहा था कि यह जो सारी बहस आपने उठाई है, यह कोई नई नहीं है।

**श्री राजनारायण :** यह तो मैं भी कह रहा हूँ कि नई नहीं है।

**श्री जगजीवन राम :** मैं वही कह रहा हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है, इस मदन में बहुत दफा ये बातें उठाई गई हैं और जब कभी दाम का प्रश्न आता है, ये बातें उठाई जाती हैं। मैं भी इस समय कोई नई बात

[श्री जगजिवन राम]

कह सकूंगा, यह आश्वासन मैं नहीं देता। मैं भी पुरानी बातों को दोहराऊंगा। यह बात सही है कि जिस तरह से औद्योगिक जिन्स का दाम सारे खर्चों का अनुमान करके लगाया जाता है, कृषि से उत्पन्न पदार्थों का दाम ठीक उतने वैज्ञानिक ढंग से हो नहीं पाता, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कुछ निखर्च एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के रहते हैं, कुछ राज्य सरकारों के निखर्च रहते हैं और कुछ बाजार के दाम जो रहे हैं पिछले सालों में; उन सबको ख्याल में रखकर यह दाम निर्धारित किया जाता है और हम ऐसे दाम निर्धारित करते हैं कि किसानों में यह आश्वस्ति रहे कि ज्यादा उपज करने पर भी गल्ले का दाम नीचे नहीं गिरेगा। यही प्रयत्न पिछले तीन सालों से किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें सफलता मिली है। फिर भी आप कहें कि बिल्कुल तुलनात्मक दाम कृषि का भी है, तो मैं ऐसा कहने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रयत्न यही रहा है। अब तक हिन्दुस्तान के किसानों का अनुभव रहा है कि जब कभी उपज अधिक की, दाम गिर जाता था, उसको मैंने रोकने का प्रयत्न किया है और उसमें सफलता मिली है।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Sir, I have got one or two points for clarification by the hon. Minister. It is known that the prices can be fixed at the time of procurement in accordance with the policy announced now. It is known to the hon. Minister that the Food Corporation of India, which is to procure food crops from the peasants does not have its own agencies in the different interior parts of the country and it being so, the Food Corporation of India, the main procuring agency, entrust the duty to some other agencies, and the peasants who are to sell their produce do not get the actual prices as fixed by the Government for the foodgrains purchased by these agencies other than the Food Corporation of India. May I know whether the Government proposes to extend the scope of the activities of the

Food Corporation of India so that they may have their own agents in almost all the village areas so that the peasants may be assured of the prices fixed by the Government?

My second point is whether the attention of the Government has been drawn to a news item appearing in a section of the Calcutta press wherein it has been stated that food crops in certain godowns, in Calcutta and in some other places, of the Food Corporation of India have been damaged to a great extent and that the loss thus sustained would come to the tune of Rs. 1.5 crores and if this is true, what precautionary measures the Government have so far taken for the preservation of the foodgrains procured by the Food Corporation. If no step has been taken, the Government should take early steps in this matter.

SHRI JAGJIVAN RAM : So far as procurement or purchase by the F.C.I. is concerned, we are anxious that we should purchase directly from the producer. But one should not forget that the arrangement to be made by the F.C.I. depends upon the agreement of the State Governments. Some of the State Government do not want the F.C.I. to make purchases in their States. Some State Governments want the F.C.I. to purchase foodgrains through the agencies appointed by the State Governments. Therefore, it is not possible for the F.C.I. to have its agencies in all parts of the country. Where the State Governments have agreed that the F.C.I. should purchase directly from the farmers the F.C.I. has established as many agencies, even in the remote villages, as was necessary.

So far as damages are concerned, I cannot give the exact quantity or price of the damaged foodgrains. But when we have such a large operation in different parts of the country, and that too in a very short period when we have to transport foodgrains even by open wagons, some damages are bound to occur. But we are taking precautions by constructing new scientific storages to avoid wastage and deterioration as far as possible.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमान्, यह बात सही है कि रबी की फसल के मूल्य का आंकलन उस समय हो सकता

है कि जब कि रबी की फसल आ जाय या आने वाली हो और उस के अनुसार ही मूल्यों का स्थरीकरण होता है, लेकिन तब भी एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लगातार कई वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है और विशेषतः देश के उन क्षेत्रों में कि जहाँ कि पर रबी की केवल एक ही क्राप होती है और दूसरी क्राप नहीं होती, तो वहाँ के किसानों के सामने यह समस्या आ रही है कि अगर जनवरी के महीने में गेहूँ और चने का भाव आसमान को छूने लगता है, तो उस समय जब कि किसान के खलिहान में गेहूँ और चना आ जाता है, व्यापारी उसको कीमत घटा देते हैं और उसके अनुसार सरकार मूल्यों का स्थरीकरण करती है। परिणामस्वरूप जब गल्ला उन के पास होता है तो उन को मूल्य कम मिलता है और जैसे ही उनके पास से गल्ला निकल कर सरकार के गोदामों में आ जाता है या व्यापारी की मंडियों में चला जाता है वैसे ही उस की कीमत बढ़ जाती है और यह कीमतों में बढ़ाव लगभग फागुन के महीने तक रहता है और जब किसान के पास गल्ला आना प्रारम्भ हो जाता है, दाम कम होने लगते हैं। तो क्या इस के लिये श्रीमान् ने कोई ऐसी स्थायी नीति सोची है जिस के कारण किसानों को जो हानि सालाना उठानी पड़ती है वह न उठानी पड़े भविष्य में ?

**श्री जगजीवन राम :** हम जो दाम निर्धारित करते हैं उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहना मही नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्राइस उगाही के दाम को कहते हैं। हम जो दाम निर्धारित करते हैं उसको हम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं। आज किसान से हम नहीं कहते कि इसी दाम पर अपना गल्ला हम को दो। अगर उस से ज्यादा दाम किसी को मिलता है तो वह अपना गल्ला उस दाम पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। मैं इसको साफ

करना चाहता हूँ कि यह प्रोक्योरमेंट नहीं है इस से अधिक दाम किसान को मिले तो उस को अपना गल्ला बेचने की पूरी स्वतंत्रता है। आपने दाम गिरने की बात और सस्ते-पन की बात कही, इसलिये मैं बता रहा हूँ; लेकिन अगर दाम गिरता है और व्यापारी किसान को 76 रुपये से कम देता है तो किसान जितना भी गल्ला देगा उस को हम 76 रुपये में खरीदने का आश्वासन दिये हुये हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस के इतने ही माने हैं कि अगर किसान को अपने गल्ले का दाम 77 या 78 रुपये मिलता है तो वह अपना गल्ला बेच ले, लेकिन पौने 76 रुपये भी अगर दाम हो जाता है तो उस का गल्ला 76 रुपये में हम खरीदने को तैयार हैं, जितना भी वह देगा, उतना।

यह बात सही है कि जैसे जैसे मौसम बीतता जाता है उस के हिसाब से दाम में उतार और चढ़ाव आना है। हमारा प्रयत्न यही रहता है और राज्य सरकारें अगर सतर्क रहें तो यह होता है कि जिस जिस इलाके में भी दाम ऊँचा हो जाता है वहाँ वहाँ पर हमारे भंडारों में जो गल्ला है या राज्य सरकारों का जो गल्ला है, वह वहाँ पहुँचा दिया जाय। ऐसा करने से दाम पर थोड़ा नियंत्रण हो जाता है। यह एक मैकेनिज्म है जिस को हम ने जब उत्तर प्रदेश में और बिहार में भाव तेज हुये तो राज्य सरकारों से अपनाने को कहा, कहा कि गेहूँ उस क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए ताकि दाम गिर जाय। यही हम कर सकते हैं और करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री पंडरीनाथ सीताराम पाटील (महाराष्ट्र) :** श्रीमान्, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी के समाने रखना चाहता हूँ और वह यह है कि हम लोगों की, किसानों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि हम लोगों के गल्ले का जो दाम सरकार ने निर्धारित किया है वह कम है, दूसरी वस्तुओं के मुकाबले में। जो किस्म किस्म के उद्योग अपने देश में

[श्री पंडरीनाथ सीतारामजी पाटील]

चलते हैं उन में जो चीजें बनी होती हैं उन की कीमत को ध्यान में रखते हुये अनाज की कीमतें जो निर्धारित की जाती है, सरकार की ओर से, बहुत कम हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि किसानों का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिस के द्वारा सरकार के ऊपर कोई दबाव आये। जैसे मिल मालिक है या दूसरे प्रकार के कारखानेदार हैं, वे अपने संगठनों द्वारा सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। वैसा कोई संगठन किसानों का नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी के दिल में किसानों के लिये बड़ी आत्मीयता है और इसीलिये उन्होंने अनाज के दाम निर्धारित किये हैं और सरकारी गोदामों पर निर्धारित दाम से अनाज लिया जाता है। नहीं तो व्यापारियों ने किसानों के माल को और मन्ते दामों में लेकर शोषण किया होता; तो मैं सरकार को इसके लिये तो धन्यवाद देता हूँ लेकिन साथ ही साथ यह कह देना चाहता हूँ कि किसानों का कोई प्रभावी संगठन नहीं है; तो माननीय मंत्री जी ऐसा करें कि अगले साल जो फसल किसानों की आने वाली है उसके गल्ले का दाम क्या निश्चित हो, इसके बारे में ग्राम पंचायत की राय आम तौर से ली जाय क्योंकि ग्राम पंचायतों में देहातों के प्रतिनिधि लोग रहते हैं, जो किसान होते हैं। दूसरे, जो वहाँ पंचायत समिति रहती है तहसील, में उनकी राय इस बारे में ली जाय और इसके साथ ही जिला परिषद् की राय ली जाय और इन सारी रायों को जानकर सरकार विचार कर के किसान के गल्ले की प्रतिवर्ष कीमतें निर्धारित करे। यही मेरा सुझाव है।

श्री जगजीवन राम : यह तो मैं मानने को नैयार नहीं हूँ कि दाम जो निर्धारित किया गया है वह कम है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि किसानों का कोई संगठन नहीं है तो यह सदन को मालूम है कि किसानों की आवाज जितनी इस सदन में है, जितनी

शक्तिशाली है, वे कोई संगठन बना कर भी उस आवाज को इस से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते। आखिर हम सब लोग क्या है ? हम सब लोग राज्य सभा में या लोक सभा में अधिकांश सदस्य जो हैं वे किसानों के प्रतिनिधि ही तो हैं और किसानों की आवाज को ही सामने रखते हैं। इसलिये उन का संगठन बने, यह अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में किसानों को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिये। यह बात ख्याल रखना चाहिये कि हर उत्पादक अपने उत्पादित पदार्थ का अधिक से अधिक मूल्य चाहता है और उस का जितना भी मूल्य निर्धारित कर दें, वह बराबर यही कहता है कि वह कम है। तो उपभोक्ता भी अपने देश में है। हमें उस का भी ख्याल रखना है और किसानों में भी अधिकांश उपभोक्ता हैं खर्चदकर खाते हैं इस चीज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिये।

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : Sir, before I seek clarification on one issue I would like to make one thing quite clear. As Opposition it is not our duty to oppose every move of the Government. Whenever the Government takes to a healthy move in the interest of the cultivator or the consumer, we must support it and congratulate the Government. In this respect I want to congratulate the hon'ble Minister for the action he has taken. It is a well-considered scheme in my humble opinion. But I wonder if he will apply the same criteria to the rice market about which I quite understand.

Then one clarification I would like to seek. The zones so far as wheat is concerned have been abolished and there is freedom of movement of wheat all over India. In fact, Parliament has been insisting for it for the last twenty or twenty-one years. I am glad we have done it. I would like to know how he is going to treat rice.

श्री जगजीवन राम : यह तो मैं ने अभी गेहूँ के बारे में कहा है, चावल की बात तो बाद में आयेगी, लेकिन इतना मैं आप को बता दूँ कि चावल के संबंध में भी जो प्रोक्वोरमेंट की प्राइस है शायद एक आध जगह

छोड़ कर उगाही वाली चीज अब कहीं नहीं रह गयी है। यानी किमान को हम मजबूर करें कि इतने ही दाम पर उसे अपना गल्ला देना है यह शायद एक दो स्थानों में ही है, लेकिन अधिकांश स्थानों में यही है कि हम दाम निर्धारित कर देते हैं और उस से ज्यादा दाम अगर उसको मिले तो वह बेच सकता है। लेकिन उससे दाम नीचे गिरने लगे तो हम सब खरीद लेते हैं, जैसा कि गेहूँ के लिये कहा। हा, दो-एक जगह के लिये हमने कहा, जैसे कि केरल में प्रबन्ध अलग है, लेकिन अधिकांश जगह में यही है। आसाम में जैसे कि जो दाम निर्धारित किया गया, उससे नीचे जाने लगा है, तो हमारा यह करीब करीब एक सपोर्ट प्राइस की तरह से काम कर रहा है, गेहूँ के मामले में भी और अधिकांश क्षेत्रों में चावल के मामले में भी, लेकिन चावल का अभी स्टेटवाइज जोन है।

**SHRI MAHAVIR TYAGI :** Well, congratulations.

**SHRI BALACHANDRA MENON (Kerala) :** Sir, in regard to the Government taking over the foodgrains, will the Government at least persuade the Food Corporation of India to take sugar also from sugar factories, especially from the co-operative sugar factories, because there is a good deal of stock getting accumulated and they are finding it very difficult to dispose of it? It is also part of foodstuffs. Will the Government extend that to the sugar factories too, so that the co-operative sector is able to survive?

**SHRI JAGJIVAN RAM :** There is no proposal at present to entrust this responsibility to the Food Corporation of India. The question of sugar is quite distinct from the foodgrains. So far as free market sugar is concerned, there has never been zonal restriction and the sugar factories are free to sell their free sugar in any part of the country. A very happy situation has developed in the country. Two years ago we had a real scarcity of sugar and I was requesting people to consume less. To-day we are in a fortunate position and I will

appeal to my countrymen to consume as much sugar as they like.

**श्री राजनारायण :** श्रीमान्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या मैं सरकार का यह आश्वासन समझूँ कि जो प्राइस इस समय सरकार ने फिक्स किया है उस प्राइस से कम में गेहूँ खरीद होने लगे तो सरकार सब गेहूँ खरीदेगी? क्या मैं समझूँ कि सरकार ने कैटेगोरिकली यह कहा है . . .

**श्री जगजीवन राम :** मैंने यही आश्वासन दिया है।

**श्री राजनारायण :** आश्वासन नहीं, मैं कैटेगोरिकल उत्तर चाहता हूँ। क्या गवर्नमेंट आज कह सकती है कि इतनी प्राइस से कम पर किसानों का गल्ला बिकेगा तो सरकार ड्यूटी वाउंड होगी किसानों से वह गल्ला खरीदने को।

**श्री जगजीवन राम :** मैंने यह कहा।

**श्री उपसभापति :** उन्होंने कहा कि वह खरीदेगी। आपके पास भी हो तो आप भी दे दे।

**श्री महावीर त्यागी :** अगले इलेक्शन तक खरीदेगी।

**श्री जगजीवन राम :** मैंने यही कहा है कि 76 रुपये से कम में अगर कोई व्यापारी खरीदता हो तो किसान जितना भी गल्ला, जितना भी गेहूँ लायेगा, उतना हम सब 76 रुपये पर खरीदने के लिये तैयार हैं। और क्या कैटेगोरिकल चाहते हैं, यह कह ही नहीं रहा हूँ। यही किया है।

**श्री राजनारायण :** मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूँ कि सरकार के अफसरों ने गल्ला खरीदना बन्द कर दिया है।

**श्री महावीर त्यागी :** अभी नहीं खरीदेंगे, आइंदा के लिये कह रहे हैं।

**श्री राजनारायण :** त्यागी जी की अपोजीशन की कल्पना भिन्न है और हमारा अपोजीशन की कल्पना भिन्न है क्योंकि त्यागी जी

[श्री राजनारायण]

रूलिंग पार्टी से थोड़े दिन हुये अलग हुये हैं। अपोजीशन का कर्त्तव्य केवल यही नहीं है कि गवर्नमेंट की सही-गलत बात का हम समर्थन ही करते हैं। मैं आज सफाई से कह देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है। मैं एक पूरे स्टेट को जानता हूँ, जहाँ गल्ला किसानों से खरीदना बन्द कर दिया है और उनका गल्ला खरीदा नहीं गया। तमाम सरकारी अफसरान किसानों से गल्ला न लें, तो सरकार क्या करेगी?

**श्री उपसभापति :** आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है, सदन ने सुन लिया है। आपकी जानकारी वहाँ की हो कि जहाँ गल्ला खरीदा नहीं जा सका है तो आनरेबिल मेम्बर उनको बता सकते हैं, वह अपना आदमी भेज देंगे खरीदने के लिये।

**श्री जगजीवन राम :** आपने कभी कहा भी कि फलों जगह नहीं खरीद रहे हैं। मैं आपसे इसकी शिकायत करूंगा..

**श्री राजनारायण :** तमाम हल्ला हो गया, सारे सूबे में हल्ला है और आज माननीय मंत्री जी को पता नहीं है।

**श्री जगजीवन राम :** कहां हल्ला उठा, क्या हल्ला उठा? जिसको बुरा और अच्छी समझ में नहीं आता उसको यही नजर में आयेगा।

**श्री राजनारायण :** कोई हरियाली ही हरियाली देखता है।

**श्री महावीर त्यागी :** काला चश्मा लगा रखा है।

**श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) :** श्रीमान् यह निविवाद है कि जब से माननीय खाद्य मंत्री जी ने यह विभाग संभाला है, तब से सचमुच इसमें सुधार हुआ है। आपसे पूर्व एक मंत्री थे जिनका मुँह उठते ही सबसे पहला काम यह हुआ करता था कि

यह कहें कि खाद्य स्थिति बड़ी खराब है, उन का यह मंत्र था और उस का नतीजा यह था कि देश के अन्दर बड़ी बैचेनी थी और सचमुच में खाद्य की समस्या बड़ी भीषण हो गई थी। यह मानना पड़ेगा, किन्तु इसके साथ साथ जैसा कि राजनारायण जी ने अभी कहा है - आपने जो कुछ भी ब्यान यहां दिया है वह बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से ऐसी योजना है, ऐसा आपने नियम बनाया है, किन्तु यह भी सत्य है कि अनेक स्टेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है। पहली बात।

दूसरी बात यह है कि मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने अभी यह कहा है कि स्टोरेज में या ट्रांसपोर्ट में जो खाद्यान्न जाता है उसमें थोड़ा बहुत तो खाराब हो जाना स्वाभाविक बात है, तो थोड़ा बहुत खराब हो जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अभी इसी सप्ताह समाचारपत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह समाचार आया था कि 12 हजार 250 टन - मन नहीं टन - गेहूँ जो खुले बैग्स में आ रहा था, वह बर्बाद हो गया, खराब हो गया।

**श्री उपसभापति :** सवाल पूछ लीजिये।

**श्री मानसिंह वर्मा :** आपको याद होगा कि जिस समय आपने यह डिपार्टमेंट संभाला था उसी समय इसी सदन में दो वर्ष पूर्व इसके लिये आवाज़ उठाई गई। तो माननीय मंत्री जी से मैं केवल जानना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में भी कोई विशेष योजना इस प्रकार की बनाई जा रही है कि खुले बैग्स में अब खाद्यान्न नहीं भेजे जायें, कवर्ड बैग्स में ही भेजे जायें और गोदाम भी इस प्रकार के बनाये जाय कि जिसमें वह खराब न हो।

**श्री जगजीवनराम :** इसका उत्तर तो बहुत दफा दे चुका हूँ। सवाल यह होता है कि

क्या किया जाय । मैं चाहूंगा कि सदन बुद्धिपूर्वक इस पर विचार करे । पंजाब और हरियाणा से गेहूँ की खरीददारी अधिक होती है और जब यह मौसम आता है, तो पांच छः सप्ताह के भीतर ही सारी खरीददारी कर लेनी पड़ती है । हमने पंजाब में इन्तजाम किया है, इस साल हमने अधिक से अधिक वहाँ गोडाउन बनवाने का, जिससे कि हम अधिक से अधिक गेहूँ वहाँ रोक सकें ।

**श्री मानसिंह वर्मा** : दो वर्ष पहले भी यही जवाब दिया था ।

**श्री उपसभापति** : आर्डर, आर्डर । सुन लीजिये ।

**श्री जगजीवनराम** : बात वहीं है । जिसको जिम्मेदारी होती है उसी को मालूम होता है कि चीज क्या है । 12 हजार सुनने में बहुत मालूम होता है, लेकिन मैं सदस्य महोदय से अनुनय विनय करूँगा कि यह भी आँकड़े देख ले कि कितना सब भेजा गया, कितने माल का हेडलिंग हुआ, कितने टन का हुआ, जिससे कि यह 12 हजार टन खराब हुआ । कोशिश करते हैं . . .

**श्री राजनारायण** : 12 हजार टन की नुकसानी गवर्नमेंट के लिये, मंत्री जी के लिये, कुछ नहीं है ।

**श्री मानसिंह वर्मा** : ऐसे देश में जहाँ यह स्थिति है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों समय ठीक प्रकार से भोजन नहीं मिलता है, वहाँ 12 हजार टन बड़ा मूल्य रखता है । आप ऐसा खयाल न करें कि यह कोई चीज नहीं है ।

**श्री जगजीवन राम** : मैं एक बात कहूँगा । पता नहीं कि माननीय सदस्य का कृपि से सम्बन्ध है या नहीं लेकिन जिस किसी का भी किसानों से, कृषि से, सम्बन्ध है, जिसको अपने घर में गल्ला रखने का अनुभव है, उसको मालूम है कि बहुत हिफाजत करने के बाद भी अपने

घर में जो थोड़ी भिकदार में गल्ला रखते हैं, उसमें भी थोड़ा नुकसान हो जाता है । थोड़ा नुकसान जरूर हो जाता है । मैं यह नहीं कहना कि सही होता है, हम कदम उठा रहे हैं कि नुकसान बन्द हो, लेकिन सभी सावधानी बरतने के बाद भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि कोई भी नुकसान नहीं होगा । यह दावा कर ही नहीं सकता कि कोई नुकसान नहीं होगा ।

**श्री राजनारायण** : यह तो अनिवार्य ही है ।

**श्री जगजीवन राम** : जी हाँ, अनिवार्य है ।

**SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat)** : Keeping in view the possibility of a reduction in the import of cheaper wheat under PL-480, I would like to know from the hon. Minister whether he intends to give cheaper wheat to people at subsidised rates through fair-price shops.

**SHRI JAGJIVAN RAM** : After the reduction in the volume of imported wheat, if we are to sell indigenous wheat at an economic price, it will not be possible to retain the issue price of Rs. 78 because the House would know that we are paying Rs. 76 to the farmer. The price of a gunny bag comes to more than Rs. 2. Then there are the *mandi* charges. There is the sales tax. There are the transportation costs from the *mandis* to the stations. All that itself comes practically to Rs. 8 or Rs. 9. So at present we are selling it at a subsidised rate. A portion of the loss is made up by a little profit that is earned on the imported wheat and as the quantity of the imported wheat goes down, the element of subsidy will increase. Even at present on a rough calculation perhaps a subsidy of more than Rs. 10 crores is involved in retaining the issue price at Rs. 78.

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान)** : जैसा कि निरंजन वर्मा जी ने कहा है, उनकी बात में कुछ वजन लगता है । राजस्थान के कुछ स्थानों पर ऐसा अनुभव किया गया है कि फूड कारपोरेशन के स्टोर्स के लिये खरीदने



[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

को जो लोग जाते हैं, कुछ व्यापारियों को अपना एजेंट बना लेते हैं और जब किसान व्यापारियों के एजेंट के पास माल

श्री उपसभापति : ठीक है, सवाल पूछिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पूछ रहा हूं, व्यापारी उस माल को रद्दी करार करके कहता है, तुम्हारा माल नहीं खरीदता हूं, तुम्हारा माल स्टैंडर्ड से का है

श्री उपसभापति : यह सवाल नहीं है । सवाल पूछिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वह माल पड़ा रहने के बाद वही व्यापारी उस किसान से माल खरीद कर अपने नाम पर माल खरीद लेता है, फुटकर के नाम पर वह माल खरीद लेता है । तो उस माल खरीदने की पद्धति में सरकार कोई बदल करे कि जिसमें एक व्यापारी, जो शोषण करता है या जो एजेंट है सरकार का, वह शोषण नहीं कर सके ।

श्री जगजीवन राम : इस तरह की कुछ शिकायतें आई हैं । जब कभी शिकायतें आती हैं उनकी छानबीन करके जो दोषी होते हैं उनको सजा भी दिया करते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारपोरेशन है, इसमें कहीं न कहीं इस तरह की शिकायतें आयेंगी ।

श्री राजनारायण : हो ही जायेंगी ।

श्री जगजीवन राम : जरूर हो जायेंगी । जो सही दिमाग से सोचेगा, उसको मालूम होगा ।

श्री राजनारायण : दिमाग है किसी का ?

श्री जगजीवन राम : जिसके होगा वह समझा जायेगा । तो इतने बड़े आपरेजन में कहीं ऐसी बात नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री राजनारायण : हमारा एक सवाल, व्यवस्था का सवाल है । क्या मंत्री के लिये

इस ढंग का उत्तर देना उचित है, जब एक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि इस तरह से अव्यवस्था और गड़बड़ी है, तो मंत्री कहे हम उसको दूर कर सकते हैं या नहीं । एक लम्बा लेक्चर देकर मंत्री कहता है, अनिवार्य ही है, वजाय इसका उत्तर देने के कि जो हानि होती है, जो नुकसान होता है उसको दूर करना है या नहीं । मैं चाहता हूं, आप मंत्री को डाइरेक्ट करें कि मंत्री सदन में इस तरह से इरेस्पॉन्सिबल उत्तर न दे ।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : मंत्री जी ने हाउस के सामने जो बयान दिया है, उसके अन्दर गेहु की पिछले साल की जो कीमतें रखी और एक फूड जोन रखा, इसके लिये मैं उनका मशकूर हूं । केवल इतना ही उनसे प्रार्थना करता हूं कि पिछले साल पंजाब और हरियाणा के अन्दर जब रबी की फसल मंडियों में पहुंची तो ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि कई दिन तक उसको कोई उठाने वाला नहीं था । इन्स्पेक्टर लोग

श्री उपसभापति : सवाल पूछिये । भाषण करने का समय नहीं है ।

श्री सुलतान सिंह : मेरा क्वेश्चन यह है : पिछले साल के तजुबों को देखते हुए, क्या सरकार ने इस साल रेलवे के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करने का इंतजाम किया है ?

आप प्रोक्योर कर लेते हैं, माल मंडी से उठता नहीं है, तो उसका क्या इंतजाम किया ? यह जानना चाहता हूं और उनका बहुत धन्यवादी हूं, जो कीमतें उन्होंने रखी और फूड जोन बनाया ।

श्री जगजीवन राम : मैंने अभी बताया कि पंजाब में कुछ अधिक माल रखने की व्यवस्था हो गई है जिसमें मंडियों से माल जाता है, जिससे हम माल को वहां रख सके उसके लिये रेलवे से भी प्रबंध हो चुका है और महीने में कितने लाख टन वहां से बाहर निकाल सकेंगे, इसका प्रयत्न किया गया है । जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा

में खरीदारी फूड कारपोरेशन के माध्यम से नहीं होती है, हरियाणा सरकार की तरफ से होता है; लेकिन वहाँ भी गोडाउन बना कर इंतजाम किया है कि जितनी तेजी से हमको बाहर निकालना है, अगर रेलवे उतना नहीं कर सके, तो वहाँ दो-तीन लाख टन माल रख भी सकें।

THE WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL, 1970—*contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta will resume his speech.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, before you adjourned the House I was just suggesting that the Committee should be enlarged, if necessary, and I think it is necessary, in order to ensure that all the Members of Parliament from West Bengal are represented. I also suggested that the apportionment of the Members of the Committee between those representing the left and democratic parties and those representing the rightist parties should be 4 : 1 in order to reflect more or less the political colour and composition of the West Bengal State Assembly. As you know, we shall be undertaking legislation here so long as the President's rule remains there. Naturally we cannot entrust it to those people who are opposed to the United Front programme, the 32-point programme, or are opposed to the very ideas and concepts laid down in that programme. On the contrary, the functions of the President's rule should be to continue the administration in the light of this programme, in accordance with the United Front programme. Whatever may have happened to the Ministry, its 32-point programme remains. And I make it clear that the Ministry did not collapse on the question of any divergence over this or that item of the programme. There may be some differences as to how a particular item of the programme should be implemented, a particular task should be carried out, but there is no difference among any of the fourteen parties with regard to the basic stand of the programme and its 32 items. So, that should be the guiding line for the Government.

Now, the President's rule must not exist for a moment longer than is necessary. I say this thing because there are certain political forces already active which are interested in prolonging the President's rule. For example, the leaders of the Swatantra Party have even gone to the extent of demanding that a state of emergency should be declared in West Bengal so that the President's rule, the regime of dictatorship, the arbitrary regime, could continue as long as possible. We not only protest against this suggestion, but we reject it with all the contempt it deserves. This is the voice of the dark reaction which wants to take advantage of the unfortunate situation which has developed in West Bengal and fasten upon it a terrorist regime, an arbitrary regime, a regime which rides rough-shod over the rights and liberties of the people, over the interests of the masses. Therefore, I say the Government should give no quarter to preposterous suggestions of this kind, the one that has come from the Swatantra leader, Mr. M. R. Masani, and others of the Swatantra Party. But then there are others who are also in a subtle manner pleading for prolonging the President's rule as if the President's rule is going to offer a solution to the problems of West Bengal. The President's rule has come about in a situation or under conditions which are well known to the House. We do not believe that the President's rule can offer any solution to any of the problems facing the people of that great State. In fact, the President's rule is essentially a bureaucratic rule guided from the Centre, and if it is guided in the old way as has been the case on previous occasions, I say it would be sheer treachery to the people, a plain treason to the Constitution and a violation of the solemn undertaking that comes to Parliament in assuming powers for the President's rule. Therefore I make this point clear. Mr. Deputy Chairman, so far as we are concerned, our views are well known; we stand for the revival of the 14-Party United Front; we are not pessimistic in political life that the United Front cannot be revived, because we believe that today in Indian politics and public life in general in the political sense, Sir, there is no way out except to forge unity among the left and progressive forces. Whatever may be the temporary difficulties, dissensions and differences, it is only the unity of